

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11 के वी सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11 के वी सबस्टेशन कपकोट तक 33 के वी लाइन का निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की धनराशि का प्राकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन पन्त्रालय, नई दिल्ली आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0पी0वी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लेखिता व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- ईको क्लास श्रेणी- पांच (V)
- 2- हरियाली का घनत्व - 0.01 (प्रभावित होने वाले वृक्षों के अनुसार)
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0-रु0 6.57 लाख (मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार)
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.9 है
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- (आवेदित वन भूमि X प्रति है0 दर)

$$(0.9 \times 6.53) = \text{रु0 } 5.913.00 \text{ मात्र (लाख में)}$$


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
 प्रभागीय वनाधिकारी
 बागेश्वर वन प्रभाग
 बागेश्वर